



किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ- 226003

कुलसचिव कार्यालय

फोन: 91-0522-2257540 फैक्स: 91-0522-2257539 वेबसाइट: www.kgmcindia.edu.

संख्या...।.6.८.२.../ गैर शै० अधि० एवं पै०अनु०/2022

दिनांक. 26/12/22

आदेश

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ में कार्यरत गैर-शैक्षणिक संवर्ग के समस्त स्थायी कार्मिकों को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 2 भाग 2 से 4 अध्याय 10 मूल नियम 58 से 104 तथा सहायक नियम 35 से 172 तथा समय-समय पर जारी शासनादेश में उल्लिखित व्यवस्थानुसार अवकाश स्वीकृत किया जायेगा। (सूची संलग्न)

मानव संपदा पोर्टल पर आकस्मिक/निर्बन्धित/प्रतिकर/डे-ऑफ अवकाशों को विभागाध्यक्ष/प्रवेक्षक/प्रभारी के माध्यम से स्वीकृत किया जायेगा, अन्य अवकाशों की स्वीकृति हेतु उनके आनलाइन आवेदन को अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में अग्रसारित किया जायेगा।

विभाग को उपलब्ध कराए गए बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज किए जाने हेतु पूर्व में हुए समस्याओं के समाधान हेतु निम्नलिखित बदलाव किये गए हैं:-

1. वित्त कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आई डी द्वारा विभाग स्तर के अवकाश को बायोमेट्रिक उपस्थिति पेज पर विभाग द्वारा किया जाएगा।
2. कुलसचिव महोदया के माध्यम से स्वीकृत की जाने वाले अवकाश को लीव मैनेजमेंट पेज के माध्यम से विभाग द्वारा ही ऑनलाइन पोर्टल पर अंकित किया जाएगा जो स्वीकृति का माध्यम होगा, जिसको कुलसचिव कार्यालय द्वारा स्वीकृत किया जाएगा।
3. बायोमेट्रिक उपस्थिति को Submit करने पर किसी भी कर्मचारी की उपस्थिति कम होने की स्थिति में एक Remark का Option आएगा जिसमें विभाग द्वारा उपस्थिति कम होने का औचित्य अंकित करना अनिवार्य होगा।

नोट:- आकस्मिक व चिकित्सा अवकाश को छोड़कर शेष अन्य अवकाशों का उपभोग किये जाने से 15 दिवस पूर्व आवेदन प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

कुलसचिव
के०जी०एम०य००, लखनऊ।

संख्या :- ८०. 2022 तददिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, गौंधी स्मारक एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, के०जी०एम०य००, उ०प्र०, लखनऊ।
2. अधीक्षक(चिकित्सा संकाय/दंत संकाय), गौंधी स्मारक एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, के०जी०एम०य००, उ०प्र०, लखनऊ।
3. वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रवेक्षक/प्रभारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
5. सदस्य सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अवकाश संबंधी नियमों/आदेश को चिकित्सा विश्वविद्यालय की वेब-साइट पर ऑनलाइन अपलोड करना सुनिश्चित करें।
6. मा० कुलसचिव कार्यालय, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।

24/12
कुलसचिव

अवकाश नियम

शासनादेश संख्या- सा-4-1130 / दस-७१-२००-७७ दिनांक 7, जनवरी 1992 के द्वारा सेवानिवृति पर अर्जित अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश (240 दिन की अधिकतम सीमा तक) नकदीकरण स्थीरूप करने का अधिकार विभागाध्यक्षों को प्रतिविधित किये गये थे। शासनादेश संख्या-सा-4-4387 / दस-३००-२००३-८६ दिनांक 3 जुलाई, 2000 द्वारा 300 दिन तक का अर्जित अवकाश नकदीकरण विभागाध्यक्षों द्वारा स्थीरूप किया जा सकता है।

विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ राजप्रिंत अधिकारियों को प्राप्तिकृत चिकित्सकों के विविध द्वारा प्राप्त अवकाश प्राप्ति नियमित प्रमाण-पत्र के आधार पर तीन माह की अवधि तक का चिकित्सकों प्रमाण पत्र पर अवकाश प्राप्ति का अधिकार अधीनस्थ राजप्रिंत अधिकारियों को प्राप्तिकृत चिकित्सकों के विविध द्वारा प्राप्त अवकाश प्राप्ति नियमित

प्रसादि अवकाश- संबोधित दिनांगाल्यका द्वारा अथवा किसी ऐसे नियन्तर अधिकारी द्वारा जिसमें लिखा है।

महाराष्ट्र नियम १५३-१५४
आधारार प्रातान्हेति क्रया गया हो। प्रदान किया जा सकता है। अवकाश केवल ड्रग्स देकर ही जयाजित किया जाता है। इस नियम के सिए पांच शब्द में व्यतीत

मुग्धतान कर दिया गया हो। नाम जाता है, बाद इसा अवकाश के लिए अवकाश येतन के लिए अवकाशन का किसी अवकाश का दावा गा सका अद्वितीय रूपमा ॥५॥

ऐसे नहीं किया जा सकता है जिसे को वह एकाधार अधिकार हो। जहाँ कथा जा सकता है। अवकाश लेने का दबा करती हो, तो किसी भी प्रकार के अवकाश का विषय करने गा जिन्होंने खाली की अवकाशकार्य एसी अपेक्षा

करने द्वारा सभी प्रायिकारी के पास पुरस्कार है। इस समय में अवधारणा स्थान तोड़ता है। करने वाला अधिकारी किसी अवधारणा के अंतर्गत अवधारणा प्रदान करने से बहुत ज्यादा उत्सुक होता है।

अद्यताण लाभारण्तया कार्यमार्थ छोड़ने से प्रारम्भ होता है तथा कार्यमार्थ ग्रहण करने की लिंगि के पूर्व दिवस को समाप्त होता है। अद्यताण के प्रारम्भ होने के ठिक पहले वे अवकाश समाप्त करता पड़ता है।

इसी प्रकार अवकाश से लौटने पर प्रभार महान कर्त्ता कथायलय का प्रभार हस्तान्तरित किया जाता है।

जिन प्राचीनकृत अधिकारी की पूर्ति खोकृत प्राप्त किये कोई सरकारी सेवक अवधारणा काल में कोई लाभप्रद व्यवसाय या नौकरी नहीं कर सकता है। निष्पत्त: अत्युत्तमा काल में कोई लाभप्रद व्यवसाय या नौकरी नहीं कर सकता है। निष्पत्त:

जन सभा के द्वारा ये अवकाशाधान सेवक को वपस्तु बुलाने का आविष्कार
उत्तराधार से वपस्तु बुलाने पर यात्रा भासा निम्न शरां के पूरा होने पर ही देय होगा-

— याद वह भूमि दाने में अवश्यक के अवकाश पर गया हो तो कम से कम उसकी आधी अवधि का अवकाश निरस्त हो जाये।

दिन का अपवाह निरुप पा करता करता करता का अवधि के लिए अवकाश प्रप्त गया होता यदि कम स कम 30 जा सका कि हीत में अकाश पहाड़ने जाने वालिकरी के ॥ १० ॥

का पूर्ण उद्योग किये बिना डिस्ट्रीब्यूटर पर वापस बुलाने का अधिकार है। वापसाधन से सरकारी संपत्ति का अपवाहण किया जाना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटर पर लौटाना अत्याशयाधिन चेतावनी दी जाएगी तो स्पष्ट उल्लेख

अनिवार्य है। यदि उत्तर गारसी ऐसेक्का हो तो इस संबंध में कमचारी को किसी प्रकार की छूट अनुमत्य नहीं होगी, परन्तु यदि वापसी के लिए बध्य किया जाता है तो उसे निमानुसार सुविधा प्राप्त होगी- यदि अवकाश का उपयोग भारतवर्ष में किया जा सकता हो तो उसका दोष निम्नलिखित है-

प्राणी न के दिवस से जस्ते

“उत्तम विषय को अधिक बोधार्थ बनाने हेतु आप सारा प्राणीलिखित लेख संस्थान के ई-मेल (ifmtr@nic.in) पर भेजा जा सकता है।”

उत्तराधिकारी को आधिक बोधगम्य बनाने हेतु अप्रूव्य पुनर्विभिन्न लेख संस्थान के ई-मेल (imtr@nic.in) पर भेजा जा सकता है।

अवकाश विशेष का उत्तरायं यहै—उपरोक्त वार्ता सभी अवकाशों से है जब तक कि स्पष्ट रूप से किमी अवकाश विशेष का उद्दरण न होय गया हो।

अवकाश स्वीकृति हेतु समाज प्रधानिकाओं

विशेष विकलानगता अवकाश के अतिरिक्त मूल नियमों के अन्तर्गत देय अत्य अवकाश शासन के कार दें। विशेष विकलानगता अवकाश राज्यपाल संघ स्वीकृत किया जा सकता है।

असाध्यमत्त समाजकारी सेवकों को विशेष विकलानगता अवकाश के अतिरिक्त मूल नियमों के अन्तर्गत लाहौर या विशेष नियम संघ खान्ड-दो (भाग 2 से 4) के भाग 4 (विवरण पन्थ-4 के क्रम संख्या 5, 8 तथा 9) में उल्लिखित किसी अन्य नियम समाजप्रधानी की विशेष विकलानगता अवकाश का उपराजनकारी उपराजनकारी सकता है।

स्पष्टित विशेष नियम संघ खान्ड-एक का विवरण पन्थ-14

किन्तु विशेष नियम संघ खान्ड-दो के भाग-4 (विवरण पन्थ-4 के क्रम संख्या 6, 7, 8 व 9) में उल्लिखित किसी अन्य नियम समाजप्रधानी की विशेष विकलानगता अवकाश सभी के अधीन रहते संघर्षक नियम 36

राजमन्त्रित अधिकारियों को अवकाश देने के लिये साधारणतया शासन की स्वीकृति की अवश्यकता है।

अन्य नियम समाजप्रधानी की विशेष विकलानगता अवकाश सभी के अधीन रहते संघर्षक नियम 36

(क) प्रमाणित किया जाता है कि फाइोरिंशियल हैंड बुक खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम/सहायक नियम के अधीन विनांक से तक आवेदित अर्जित अवकाश देय है।

हस्ताक्षर :
पदनाम :

दिनांक : 19

2- निजी कार्य पर अवकाश

निजी कार्य पर अवकाश अर्जित अवकाश की ही शांति तथा उसके लिये निचित प्रक्रम के अनुसार प्रत्येक कैलेजर वर्ष के लिए 31 दिन 2 छंगाही विक्रमी में जमा किया जाता है। नियुक्ति की प्रधान छंगाही तथा सेवा से पृथक होने वाली छंगाही के लिए, जमा होने वाले अवकाश का अपार्पण तथा असाधारण अवकाश के उपयोग करने पर अवकाश की कठोरती विषयक प्रक्रिया भी वही है, जो आर्जित अवकाश के विषय में है।

अधिकारी सरकारी अवकाश अवधि तथा देव अवकाश

स्थायी सरकारी सेवक

- एह अवकाश 365 दिन तक की अधिकारीन सीमा के अधीन जमा किया जाता है।
- सम्पूर्ण सेवकाल में कुल शिलाकार 365 दिन तक का ही अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।
- किसी एक समय में स्वीकृत की जा सकने योग्य अधिकारी सीमा निमानुसार –
पूरा अवकाश मारत में व्यतीत किये जाते यह
पूरा अवकाश मारत से बाहर व्यतीत किये जाने पर
– 90 दिन
– 180 दिन

सांसदीय जप चंगाही-भा-4-1071/दस-1992-2001/76 विनांक 21 दिसंबर 1992

अधिकारी सरकारी सेवक

- सम्पूर्ण अवकाशी सेवकाल में कुल शिलाकार 120 दिन तक का अवकाश प्रदान किया जा सकता है। तर्थ की निरन्तर सेवा दूसी न कर ली गयी हो। अस्थायी सरकारी सेवकों के अवकाश खाली में निजी कार्य पर अवकाश किसी अवसर पर 60 दिन से अधिक जमा नहीं होता। अवकाशी सेवक को एक बार में निजी कार्य पर अवकाश स्वीकृत किये जाने की अधिकतम अवधि साठ दिन होगी।

अवकाश स्वीकृती औदेश में अतिशेष अवकाश इमित किया जायेगा।

अवकाश लेखा

निजी कार्य पर अवकाश के संबंध में सरकारी सेवकों के अवकाश लेखे प्रपत्र 11-दं, मैं रखे जायेंगे।

अवकाश वेतन

द्वाने वाले अवकाश वेतन की धनराशि के आधे के वरावर हो।

3- विकितसा प्रमाण-पत्र पर अवकाश

उस विषय को अधिक वैधान्य बनाने हेतु आप हाज फूलिंगित लेख सचिवाल के ई-मेल (fmntr@nic.in) पर भेजा जा सकता है।

उस विषय को अधिक वैधान्य बनाने हेतु आप हाज फूलिंगित लेख सचिवाल के ई-मेल (fmntr@nic.in) पर भेजा जा सकता है।

- 6- यह अधिक धनराशि स्थायी तथा अस्थायी सरकारी कर्मचारी को देय होगी। किन्तु अस्थायी कर्मचारी के मामले में यह धनराशि वित्तीय हस्त प्रसिका खण्ड-पैच भाग-1 के पैरा 242 में दी गई आविरकत शर्त के अधीन भिलेंगी।
- 7- राजपत्रित अधिकारियों को अधिक धनराशि लेने के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। मूलतः धनराशि के अधार पर किया जायेगा।
- 8- वित्तीय हस्त प्रसिका खण्ड-पैच भाग-1 के पैरा 249 (ए) के अधीन सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिक धनराशि स्वीकृत करने के लिए लक्ष्य अधिकारी अवकाश वेतन का अग्रिम भी स्वीकृत कर सकता है।
- 9- इस पूरी अधिक धनराशि का समावेजन सरकारी कर्मचारी के अवकाश वेतन के प्रधान विषय से विषय वस्तुली वेतन या अवकाश वेतन से अगले मूलतान के समय की जायेगी।

अर्जित अवकाश के लिए आवेदन पत्र

टिप्पणी : (1) कालम संख्या 1 से 10 तक की प्रतीक्षियाँ तभी आवेदकोंहास्ताने दें। राजपत्रित अधिकारी हों। अथवा आरजपत्रित कर्मचारी हों, भी जायेगा।

- आवेदक का नाम
- लागू अवकाश नियम
- पद-नाम
- विभाग/कायालय का नाम
- वेतन
- अवकाश किस दिनांक से विषय दिनांक प्रकृति
- उसकी प्रकृति
- अवकाश मांगे जाने का कारण
- पिछली बार अवकाश दिनांक से किस दिनांक तक दिया गया तथा उसकी प्रकृति
- अवकाश की अवधि ने पता
- अन्नारण अधिकारी की अस्थिति/स्थिति
- हस्ताक्षर :

आवेदक के हस्ताक्षर

पदनाम :

पत्रक्रम :

प्रदर्शन :

पत्रक्रम :

बाते में पूर्ण रूप से संतुष्ट न हो। इसे भी सुनिश्चित किया जायेगा कि परिविका अवधि के देशन अवकाश दिया जा रहा है तो इस अवकाश की अवधि कम-से-कम हो।

- बाल्य देखभाल अवकाश को अर्जित अवकाश के समान माना जायेगा और उसी प्रकार से स्वीकृत किया जायेगा।
- यदि विकासी महिला कर्मचारी द्वारा दिनांक 08-12-2008 के कार्यालय-जाप के जारी होने के पश्चात् बाल्य देखभाल के प्रयोगन हेतु अर्जित अवकाश दिया गया है तो उसके अनुरूप प्रदान करने अन्वेषण अवकाश को बाल्य देखभाल अवकाश में समायोजित किया जा सकता।

कार्यालय ज्ञाप संख्या-जी-2-2017 / दस्त-2008-216-79, दिनांक 08-12-2008, कार्यालय-ज्ञाप संख्या-जी-2-76 / दस्त-2011, दिनांक 24-3-2009 तथा शासनादेश संख्या-जी-2-76 / दस्त-2011।

5- असाधारण अवकाश

असाधारण अवकाश निम्न विषय परिविकाशों में स्थिरित किया जा सकता है-

- जब अवकाश नियमों के अधीन कई अन्य अवकाश देय न हो।
- अन्य अवकाश देय होने पर भी संवित सरकारी सेवक असाधारण अवकाश प्रदान करने के लिए आवेदन करते।

यह अवकाश लेखे से नहीं छटाया जाता है।

स्थायी सरकारी सेवक
अधीन अविकाश 5 वर्ष तक की अवधि के अवकाश के क्रम में स्थिरित किया जा सकता है।
असाधारण अवकाशी सरकारी सेवक को देय असाधारण अवकाश की अवधि किसी एक समय में निम्नलिखित सीमाओं से अधिक न होगी-

- > 3 मास
- > 6 मास यदि संवित सरकारी सेवक ने तीन वर्ष की निरन्तर रोग अवकाश अवधि सहित पूरी कर ली हो तोगा अवकाश के समर्थन में नियमों के अधीन अपेक्षित विकित्सा प्राप्त प्रस्तुत किया हो।
- > 18 मास- यदि संवित सरकारी सेवक ने एक वर्ष की निरन्तर रोग पूरी कर ली हो, और वह क्षय सेवक ने तीन वर्ष की निरन्तर रोग का उपचार कर रहा हो।
- > 24 मास- समर्पण असाधारण सेवा की अवधि में 24 मास की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए अवकाश वेतन देना होता है।

असाधारण अवकाश की अवधि के लिए कोई अवकाश वेतन देय नहीं है।

सूल नियम 85, 87(क) (4) एवं सहायक नियम 157क(4)

6- विकित्सालय अवकाश

असाधारण सेवाओं के कर्मचारियों को, जिनकी ड्यूटी में दुर्घटना या वीमारी का विशेष खतरा हो, विकित्सालय अवकाश उस प्राधिकारी के हाथ प्रदान किया जा सकता है जिसका कारब्य उस पद को (यदि वह रिक्विट हो) भग्ने का होता है।

एह अवकाश उर्वर्ती सरकारी सेवकों को देय है जिनका वेतन रु 1180 ग्रामी मास से अधिक न हो। (पुराने वेतनमान में)

चक्र विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप दाल फ्रांसिस्ट लेख संस्थान के ई-मेल (lintr@nic.in) पर भेजा जा सकता है।

चक्र विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप दाल फ्रांसिस्ट लेख संस्थान के ई-मेल (lintr@nic.in) पर भेजा जा सकता है।

चक्र विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप दाल फ्रांसिस्ट लेख संस्थान के ई-मेल (lintr@nic.in) पर भेजा जा सकता है।

उपर्युक्त होने की संस्थुति की जाय अथवा संस्थुत अवकाश की अवधि तीन माह से अधिक हो या तीन माह या उससे कम अवकाश को तीन माह से आगे बढ़ाया जाये तो संबंधित राजपत्रित सरकारी सेवक को उत्तरवात् वर्गित प्राप्त होना अवकाश के बाद अपने रोग के विवरण-पत्र की दो प्रतीर्णों लेकर विकित्सा प्रविष्ट के सम्मुख उपर्युक्त होना होता है।

सहायक नियम 91 के नीचे विकित्सा परिषद द्वारा विकित्सा प्राप्त या लोटने के लिए वार्ता प्रदान करने के लिए पुनः परिषद के सम्मान उपर्युक्त अधिकारी को ड्यूटी पार लोटने के लिए वार्ता प्रदान करने के लिए वार्ता प्रदान करने के प्राधिकृत विकेतास

4- मातृत्व (श्रूति) अवकाश

प्रश्नुति अवकाश ल्यायी अथवा असाधारण महिला सरकारी सेवकों को विनांदा दो अवसरों पर प्रत्येक के सम्मुख उपर्युक्त अवधि के लिए निवारिति शर्तों के अधीन प्रदान किया जाता है।

1- प्रश्नुति के मानसों में

प्रस्तुतावस्था पर अवकाश प्राप्त होने के दिनांक से 180 दिन तक।

दुबारा प्रश्नुति अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

यदि किसी महिला सरकारी सेवक के दो या अधिक जीवित बच्चों हो तो उसे प्रस्तुति अवकाश स्वीकृत करनी चाही जा सकता, यहाँ से अवकाश अन्यथा

नहीं किया जा सकता, यहाँ से अवकाश अन्यथा

2- गर्भावत के मानसों में

गर्भावत के मानसों में, जिसके अन्तर्गत गर्भाशाली भी है, प्रत्येक अवसर पर 6 सप्ताह तक। अवकाश के प्रकरणों में अनुमत्य मातृत्व अवकाश में नियमों के सम्बन्ध में नियम 91-94-वृत्ति-26-79, दिनांक 4 जून 1990 पत्रांक संख्या-4-84 / दस्त-90-216-79 दिनांक 3 मई 1990 द्वारा प्रस्तुति अविधिपूर्णा के द्वारा समाप्त कर दिया गया है।

प्रथम पत्र के सम्बन्ध में प्राधिकृत विकित्सक का प्राप्त चंचलन किया गया है। गर्भाशाली प्रस्तुति अवकाश के प्रकरणों में अनुमत्य होना है तथा अन्य प्रकार के प्रत्येक विकित्सक के द्वारा अनुमत्य होने का प्रतिबन्ध शासन के द्वारा समाप्त कर दिया गया है।

प्रथम पत्र के सम्बन्ध में नियम 101 एवं सहायक नियम 153 छुट्टी के साथ मिलाया जा सकता है।

अवकाश वेतन

प्रस्तुति अवकाश की अवधि में उपर्युक्त अवकाश प्रत्येक के वर्षावर अवकाश वेतन के बाबत अवकाश वेतन अनुमत्य होता है।

महिला सरकारी सेवकों को बाल्य देखभाल अवकाश (Child care leave) की अनुमत्यता :-

○ महिला सरकारी सेवक को सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम 730 दिनों का बाल्य देखभाल अवकाश प्रस्तुति

छुट्टी के साथ मिलाया जा सकता है।

○ विशिष्ट परिविकाशों यथा वीमारी तथा परिवाहा आदि में देखभाल हेतु संतान की 18 वर्ष की आयु होने की उपर्युक्त देय है।

○ सम्बन्धित महिला कमियारी के अवकाश लेखे में उपर्युक्त अवकाश देय होते हुए भी बाल्य देखभाल

अवकाश वेतन अनुमत्य होगा।

○ बाल्य देखभाल अवकाश को एक कलेंपर्ड वर्ष के दोषान तीन बार से अधिक नहीं दिया जायेगा।

○ बाल्य देखभाल अवकाश को 15 दिनों से कम के लिए नहीं दिया जायेगा।

○ छाइकर जहाँ अवकाश देने वाला प्राधिकारी परिविकाशों की बाल्य देखभाल अवकाश की आवश्यकता के संकेत है।

चक्र विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप दाल फ्रांसिस्ट लेख संस्थान के ई-मेल (lintr@nic.in) पर भेजा जा सकता है।

निम्नलिखित मामलों में सरकारी सेवकों को विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था की गयी है—

- 1- विश्वविद्यालय सीनेट के सदस्य - यात्रा समय सहित बैठक की अवधि तक के लिये
- 2- परिवार नियोजन नियोजनी (पुरुष) - 6 कार्य दिवस
- 3- नामबदी (महिला)
- 4- शैक्षिकों, अधिकारियों को किसी - यात्रा समय सहित वर्कशेप की अवधि वर्कशेप/सेमिनार में घोषणा है।

प्रस्तर 1088 - भारतवर्ष से बाहर जाने के लिए अवकाश

- भारतवर्ष से बाहर जाने के लिये आवेदन किये गये अवकाश (आकस्मिक अवकाश सहित) की स्वीकृत सहमति सहित दारा आवेदन की पूर्णतुमति के नहीं दी जायेगी।
- प्रस्तर 1089 - प्रतिकर अवकाश**
- अन्यजपत्रित कर्मचारी को उच्चतर प्राधिकारी के आदेशों के अधीन छुटियों में अतिरिक्त कार्य को नियन्त्रने के लिए बूलाये जाने पर प्रतिकर अवकाश दिया जायेगा।
 - यदि कर्मचारी ने अधे दिन काम किया है तो उसे दो आधे दिन मिलाकर एक प्रतिकर अवकाश दिया जायेगा।
 - अवकाश के दिन स्वेच्छा से अनें वाले कर्मचारी को यह सुधारा यापलख्य नहीं है।
 - प्रतिकर अवकाश का देय तिथि से एक माह के प्रतिकर अवकाश दिया जाना चाहिये।
 - दृष्टि से एक महीने की शर्त एक साप्ताहिक अवकाश की अवधि में बाजा न पड़ने की है।
 - आकस्मिक अवकाश समय एक साप्ताहिक प्रतिकर अवकाश की स्वीकृति के लिए सक्षम है।

संदर्भ :-

- विनीय हस्त ग्रन्तिका खाप्ट-दो (भाग 2 से 4) में वर्णित मूल नियम 58 से 104 एवं सहायक नियम 35 से 172
- उपर्योग काषायमेटल (प्रथम संस्करण) नियमावली, 1992
- उपर्योग सल्फीडियरी (अमेंज्मेंट) नियमावली, 1992
- उपर्योग सल्फीडियरी (प्रथम संस्करण) नियमावली, 1996
- उपर्योग सल्फीडियरी (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1990

नोट :- अवकाश नियमों संबंधी विवृत जानकारी हेतु फूल (Original) संदर्भ नियमों एवं शासनादेश।

का अध्ययन करना चाहिये।

- आकस्मिक अवकाश के साथ रविवार एवं अन्य छुटियों को सम्बद्ध किये जाने की स्वीकृति दी जा सकती है।
- रविवार, छुटियों एवं अन्य अकारी दिवस यदि आकस्मिक अवकाश के बीच में पड़ते हैं तो उन्हें जोड़ा जाता है।

विशेष आकस्मिक अवकाश

- प्रयाग बहुत कम और केवल उसी दशा में किया जाना चाहिए जबकि ऐसा करने के लिए प्रयाग अधिवेष्य हो।
- 1- लिपिक वर्गीय कार्मिकों के अतिरिक्त अन्य को दिए गए विशेष अवकाशों की सूचना सकारात्मक विशेष परिविधियों में कुछ दिन का विशेष अवकाश दिया जा सकता है। प्रत्यन्त इस अधिकार का विशेष अवकाश के लिए प्रयाग अधिवेष्य हो।
 - 2- शासनादेश स्टॉ-1094/वी-181-1997, दिनांक 21 जुलाई, 1992 शासन गो-820 /दो-वी-ज 55, दिनांक 27-12-1995 तथा एम0जी0ओ० का पैरा 882 के 1087 रास्ते तथा अन्तर्राष्ट्रीय खेलकूद में भाग लेने के लिए चयनित खिलाड़ियों को 30 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है।
 - 3- माननीय प्रधान संघ सभा/परिसरों के अध्यक्ष एवं सचिवों के एक हैलोइन्जर्व्स में अधिकारतम 07 दिन का कार्यकारिणी के उर्द्धी सदस्यों को यह सुविधा अनुमत्य होगी जो बैठक के बाहर से बाहर से आये। विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जाना चाहिए।

- प्रस्तर 1083 - आकस्मिक अवकाश पर शुल्कालय छोड़ने की पूर्ण स्वीकृति आवश्यक है। अवकाश अवधि में पता भी सूचित किया जाना चाहिये।
- प्रस्तर 1084 - सम्प्रतिष्ठित कारण
- आकस्मिक अवकाश सम्प्रतिष्ठित कराने के अधार पर ही स्वीकृत किया जाना चाहिए। अवकाशी दौरे पर रहने की दशा में आकस्मिक अवकाश लेने पर उस दिन का दैनिक भत्ता अनुमत्य नहीं है।
- प्रस्तर 1085 - सज्जस अधिकारी
- आकस्मिक अवकाश करने वाले ज्ञानीय अधिकारीयों द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है जिन्हें शासनादेशों के द्वारा समय-समय पर अधिकृत किया गया है। किसी भी प्रकार का संशय होने पर अपने प्रशासनिक विभाग को सहर्दम भेजा जाना चाहिये।

प्रस्तर 1086 - आकस्मिक अवकाश सम्प्रतिष्ठित कराने के अधार पर ही स्वीकृत किया जाना चाहिए।

- आकस्मिक अवकाश सम्प्रतिष्ठित करने वाले ज्ञानीय अधिकारीयों द्वारा समय-समय पर अधिकृत किया जा सकता है इस रजिस्टर का परिषेण निरेक्षणकर्ता द्वारा समय-समय पर किया जायेगा।
- प्रस्तर 1087 - विशेष आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति

- आकस्मिक अवकाश सम्प्रतिष्ठित करने वाले सक्षम अधिकारी द्वारा आकस्मिक अवकाश अवकाश द्वारा अधिकारियों द्वारा समय-समय पर अधिकृत किया जायेगा। इस रजिस्टर का परिषेण निरेक्षणकर्ता द्वारा समय-समय पर किया जायेगा।
- *चक्र विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप हमारे द्वारा उपलब्धित लेख संस्थान के ई-मेल (imtr@nic.in) पर भेजा जा सकता है।*